

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग रायपुर
अधिसूचना अंतर्गत धारा 4 भूमि अर्जन पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन
के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
कमॉक 126/ भू अर्जन / 2014 रायपुर दिनांक 13/12/2014

चूंकि समुचित सरकार का प्रथम दृष्टया यह समाधान हो गया है कि खाना
(1) से (4) तक वर्णित भूमि की खाना (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता
हैं अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

भूमि का विवरण				धारा 11 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम / नगर	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6
रायपुर	रायपुर	शंकर नगर	कुल खसरा 138 का रकबा 3590.78वर्ग मीटर	कार्य. अभि. लो.नि. वि. सेतु संभाग रायपुर	शंकरनगर व्ही.आई.पी. कालोनी (रेल्वे कासिंग आर व्ही-1 नया) पर रेल्वे कासिंग ब्रिज निर्माण

भूमि अर्जन पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 4 के अनुसार भू अर्जन के पूर्व सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराया जाना है। खाना 5 में अंकित अधिकारी इस प्रक्रिया में स्थानीय प्रभावितों/ स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि को शामिल करना सुनिश्चित करेंगे। प्रस्तावित अर्जन से :-

- 1:- क्या प्रभावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है ।
 - 2:- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कुटुम्बों की संख्या का आंकलन एवं विस्तृत विवरण ।
 - 3:- अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कुटुम्बों की संख्या का आंकलन एवं विस्तृत विवरण ।
 - 4:- विस्थापित होने वाले कुटुम्बों की संख्या का आंकलन एवं विस्तृत विवरण, किस रूप में प्रभावित होंगे ।
 - 5:- प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने वाले शासकीय, सार्वजनिक निजी भूमि, मकान, अन्य सम्पत्तियाँ आदि ।
 - 6:- क्या अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबे को कम किया जा सकता है ।
 - 7:- क्या किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर, भूमि अर्जन करने पर विचार हुआ है, और वह अनुपयोगी पाया गया है ।
 - 8:- परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनको ठीक करने की प्रकृति तथा ठीक करने में आने वाले व्यय का अध्ययन ।
 - 9:- परियोजना का कुल व्यय ।
 - 10:- परियोजना से होने वाले लाभ ।
 - 11:- परियोजना से प्रभावित होने वाले अन्य घटक ।
 - 12:- परियोजना समाघात निर्धारण अध्ययन (यदि आवश्यक हो तो) खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य कोई विशेषज्ञ हो, उनका सहयोग लें सकेंगे । और इस प्रक्रिया में स्थानीय प्रभावितों को भी शामिल करना सुनिश्चित करेंगे ।
- इस संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था/ अन्य को कोई सुझाव, जानकारी देना हो तो अधिसूचना जारी दिनांक से 30 दिवस (दिनांक ~~13/12/2014~~)के अन्दर लिखित में खाना (5) में उल्लेखित कार्यालय में दिया जा सकता है अथवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू अर्जन अधिकारी रायपुर के कार्यालय में दिया जा सकता है ।

13/12/14

(कलेक्टर राम सिंह)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

छ0ग0शासन छत्तीसगढ़

राजस्व विभाग रायपुर (छ0ग0)

पृ०क० क्रमांक 1262 / भू अर्जन / 2014
प्रतिलिपि:-

-2-

1974
24-12

रायपुर दिनांक 23/12/2014

- 1:- सचिव, छ०ग०शासन राजस्व एवं आपदा प्रबधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर जिला रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2:- आयुक्त, नगर पालिका निगम रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 3:- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू अर्जन अधिकारी रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 4:- कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रायपुर को सूचनार्थ । अधिसूचना का प्रकाशन 2 स्थानीय समाचार में तत्काल प्रकाशन हेतु अग्रेषित । प्रभावितों व्यक्तियों को सूचित करते हुये सभी प्रासंगिक बिन्दुओं पर स्थानीय निकाय से अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे । साथ ही समुचित सरकार की वेबसाइट पर भी उपलोड करेंगे ।
- 5:- प्रभारी अधिकारी एन.आर्.सी. रायपुर को सूचनार्थ । वेबसाइट पर उपलोड करना सुनिश्चित करें ।
- 6:- तहसीलदार रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । अधिसूचना का प्रकाशन जिला कार्यालय अनुविभाग कार्यालय एवं नगर पालिका निगम में करवा कर रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें ।
- 7:- सचिव, ग्राम पंचायत तहसील को सूचनार्थ । उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में कराने एवं ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा से अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु सूचनार्थ ।

21/12/14

(ठाकुर राम सिंह)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

छ०ग०शासन छत्तीसगढ़

राजस्व विभाग रायपुर (छ०ग०)

भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (बरे)
ह अर्जित की रही भूमि का विवरण

क्रम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा(वर्ग मीटर में)	कार्य का
1	2	3	4	5
1	शंकरनगर	159/2	25.10	शंकरनगर व्ही.आई पी. कालोनी कासिंग आर व्ही-1 नया) पर रेल्वे ब्रिज निर्माण
2	"	154/3,160/क(207/2/क)	64.40	"
3	"	161/1	33.50	"
4	"	161/2	43.20	"
5	"	141/1(150/1)152,153,154/1,162/3,(207/33), 162/7 (207/47) 1,159/19(1190/15	150.00	"
6	"	162/1, 207/3	87.50	"
7	"	162/5, 207/45	275.00	"
8	"	163/2 (207/2) 164/11,165/2ट, 169/13)164/10, (165/2, 169/12)	120.00	"
9	"	164/5, 165/26, 169/5, 207/24	110.40	"
10	"	164/14, 165/5, 169/16	39.65	"
11	"	206, 207/6	115.50	"
12	"	205/4, 207/7ग, 205/5 207/7घ, 205/6 207/7ड	179.55	"
13	"	166,167/4,(174/35) 199/1, 200/1, 200/2, 201/2, 201/3, 201/4, 202, 203/1 203/2,204, 205/1(207/6क) 205/2,205/3 (207/7ख)207/8	23.80	"
14	"	207/10/1 (207/11,207/12, 244, 245, 246, 248, 249)/1	90.00	"
15	"	207/10/2, 207/11,207/12, 244, 245, 246, 248, 249)/2	96.00	"
16	"	207/10/3, 207/11,207/12, 244, 245, 246, 248, 249)/3	90.00	"
17	"	207/13 243	198.00	"
18	"	207/14, 230/3, 238	126.00	"
19	"	207/15,207/16,228,229	102.00	"
20	"	207/18, 207/20	153.00	"
21	"	207/33, 211/2	23.00	"
22	"	207/17, 211/1	94.86	"
23	"	213/1-4 का भाग	5.50	"
24	"	212 का भाग	66.00	"
25	"	210	70.00	"
26	"	207/22 1093/2	102.85	"
	योग		2484.81	
27	"	41/16,421/21,436/1, 439, 441/22, 443/2,1293,442,514, 517/1, 518/1,534/1, 539/1, 540/1	165.37	"
28	"	436/1	73.50	"
29	"	434,435	101.53	"
30	"	41/24,418/3	288.10	"
31	"	41/8, 64/1ख,	48.76	"
32	"	41/7, 61	73.00	"
33	"	116	53.35	"
34	"	117/1	48.35	"
35	"	41/10 118	50.41	"
36	"	41/11,41/13,119	148.70	"
37	"	117/8	54.90	"
	योग		1105.97	
	कुल योग		3590.78 व.मी.	

संयुक्त/कलेक्टर,
खास्ते कलेक्टर रायपुर